# ...यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2021

1. नन्दा पुत्र स्व0 श्री छीतर
2. मिश्री देवी पत्नि स्व0 श्री श्योजी
3. मंगला पुत्र स्व0 श्री छीतर
4. राजू पुत्र स्व0 श्री छीतर
5. मु0 मुलकी पत्नि स्व0 श्री छीतर
6. घीसा लाल पुत्र स्व0 श्री छगना
7. उगमाराम पुत्र स्व0 श्री छगना
8. मुकुट बिहारी पुत्र स्व0 मदन
9. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मदन
10. गोविन्दराम पुत्र स्व0 मदन
11. प्रभूलाल पुत्र स्व0 रामा
12. गोपाल पुत्र स्व0 रामा
13. मिट्ठनलाल पुत्र स्व0 रामा
14. पार्वती पत्नि स्व0 रामा
15. गोरधन पुत्र स्व0 छोटू
16. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 छोटू
17. प्रेम देवी पुत्री स्व0 मदन

सर्व जाति माली सर्व निवासीगण रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. गिरधारी पुत्र लालाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुर्जर, निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. झूंताराम पुत्र लालाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 18/01/2022

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार — प्रार्थीगण अभिभाषक

श्री रामदेव गुर्जर — अप्रार्थीगण अभिभाषक

## निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ...
किशनगढ़ (...

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण ग्राम रलावता स्थित कृषि भूमि ख0नं0 505 रकबा 18–00–00 भूमि के सह खातेदार, काबिज, काश्तकार है एवं प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि में नक्शे में तरमीमशुदा होकर प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा में मेगा हाईवे लगता हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। अप्रार्थी सं0 1, 2 के अधिकार, मिलकीयत की कृषि भूमि ख0नं0 506 रकबा 02–15–00 अर्थात 0.4450 हैक्टेयर ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसकी राजस्व ट्रेस में तरमीम है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि रास्ते पर खुलती हुयी नहीं है, किन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपने आपराधिक लड़ाई–झगड़े की प्रवृत्ति से उद्दत होकर प्रार्थीगण की उपरोक्त ख0नं0 505 की पश्चिम दिशा की भूमि पर अतिक्रमण करते हुये उसे ख0नं0 506 में मिलाकर रास्ते पर स्वयं की सम्पूर्ण ख0नं0 506 की भूमि कायम करवाना चाहते है। इस हेतु अप्रार्थीगण ने मौके पर पत्थर, सीमेन्ट एवं चूना आदि एकत्रित कर रखा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 506 जो नक्शे में तरमीमशुदा है का वह उपयोग करते है तो किसी प्रकार से आपत्ति नहीं है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 505 के पश्चिम दिशा में यदि अतिक्रमण कर अवैध, अनाधिकृत कृत्य कर निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय कठिनाई होगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के उपरोक्त उग्रोत्तर आचरण को लेकर दिनांक 31.07.2021 को पुलिस थाना गांधीनगर, मदनगंज में शिकायत भी की थी, किन्तु अप्रार्थीगण के राजनैतिक दबाव, प्रभाव के रहते हुये पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे अप्रार्थीगण के हौंसले और बुलन्द हो गये है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मौखिक रूप से दिनांक 31.07.2021 को आग्रह किया कि, वह प्रार्थीगण के ख0नं0 505 की भूमि पर अवैध, अनाधिकृत निर्माण नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे, किनतु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि, वह न तो प्रशान से डरते है, न ही पुलिस उनका कुछ बिगाड़ सकती है। वह अपने लाठी के बल पर प्रार्थीगण की भूमि को ख0नं0 506 में मिलाते हुये चार दीवारी का निर्माण कर देंगे, अतिक्रमण करके रहेंगे। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण उपरोक्त ख0नं0 506 पर अवैध, अनाधिकृत रूप से बिना संपरिवर्तन करवाये होटल का निर्माण करना चाहते है एवं इसी कारण से प्रार्थीगण की उपरोक्त ख0नं0 505 की भूमि को ख0नं0 506 में मिलाकर स्वयं के होटल ढाबे के रास्ते पर खुलता हुआ बताकर अवैध कृत्य करने में उद्दत हो रहे है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त अविधिक कृत्य के बाबत् अनुतोष चाहा है। यदि अप्रार्थीगण को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उपरोक्त ख0नं0 505 की भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे एवं प्रार्थीगण की ख0नं0 505 की भूमि को स्वयं की भूमि में मिलाकर निर्माण नहीं करे, दीवार नहीं बनाये तो अप्रार्थीगण को कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वह अपने आपराधिक प्रवृत्ति के रहते हुये लाठी के बल पर प्रार्थीगण की ख0नं0 505 की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर प्रार्थीगण को बलात, बेदखल कर देंगे। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण, उनके परिवारजन, हितबद्ध, एजेन्ट, असाईनिस को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि, अप्रार्थीगण उपरोक्त प्रार्थीगण की ग्राम रलावता के ख0नं0 505 रकबा 18–00–00 जो तरमीमशुदा है पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार से कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे एवं अप्रार्थीगण के उपयोग, उपयोभ में कोई बाधा नहीं करे एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्ति के पेश किया गया।

4. अप्रार्थीगण द्वारा जबाव मय प्रारम्भिक आपत्ति के पेश कर निवेदन किया विधायिकी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू करते समय तहसीलदार अर्थात भू–धारी (भू–स्वामी) के रूप में अधिकार प्रदत्त किये गये है। काश्तकार केवल टिनेन्ट (कृषक) के रूप में परिभाषित किया गया है, काश्तकारी अधिनियम में किसी भी प्रकार का वाद अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है तो भू–धारी (तहसीलदार) को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है ताकि भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके जिससे न्याय निर्णय में सुगमता हो सके। इस कारण भू–धारी को पक्षकार संयोजित किया जाना आना आवश्यक है, चूंकि न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकार की डिक्री अथवा आदेश की पालना भू–धारी द्वारा ही [illegible]ना सम्भव है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित नहीं करने से दावा/प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। राज्य सरकार द्वारा "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक–प0 9(78) राज–6/2007/12 जयपुर दिनांक 03.10.2017 को संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

शासन सचिव पी0एस0 विश्नोई द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि कोई भी खातेदार अभिधारी 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्र पर निवासगृह या पशुशाला या भंडार गृह के निर्माण के लिये अपनी कृषि भूमि को बिना कोई संपरिवर्तन प्रभार दिये संपरिवर्तन कराने का हकदार है, इस प्रकार संपरिवर्तित क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति में बना रहेगा। यह प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 5 में यह प्रावधान किया गया है। इसी के अनुरूप जवाबकर्तागण द्वारा अपनी कृषि भूमि में फसल सुरक्षा एवं अधिवासीत होने के लिये मौके पर विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से कमरे का निम्रण किया जा रहा है जो जवाबकर्तागण की विभाजित, तरमीमशुदा आराजी में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी में किसी भी प्रकार का कोई अतिचार, अतिक्रमण नहीं किया गया है इस बाबत् भू–धारी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को मौके की वास्तविक रिपोर्ट हेतु दिनांक 03.08.2021 को मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार की गई है जिसमें संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दर्शाया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अतिचार, अतिक्रमण मौके पर नहीं है। यह सही है कि प्रार्थीगण व जवाबकर्ता की अलग–अलग तरमीम होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का यह कथन की "अप्रार्थी सं0 1 व 2 आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है।" गलत है क्योंकि जवाबकर्ता वृद्ध व्यक्ति है जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 की उम्र 70 वर्ष तथा अप्रार्थी सं0 2 की उम्र 65 वर्ष है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध आज तक किसी भी पुलिस प्रभारी के समक्ष कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अप्रार्थीगण कई वर्षो से स्टेट हाईवे से प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 505 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 506 में आने–जाने का कार्य करते आ रहे है। मौके पर कई वर्षो से रास्ते के चिन्ह कायम है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होने के बावजुद एवं उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने की मंशा से वाद प्रस्तुत किया है। दिनांक 31.07.2021 को किसी भी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद कारण के अभाव में एवं गलत व झुंठे तथ्य प्रस्तुत व प्रकटीकरण करने का अवैधानिक कृत्य किया गया है जो वाद कारण के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 से मौके की वास्तविक स्थिति [illegible] है जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवसायिक निर्माण नहीं किया गया है [illegible] हेतु चारागृह के लिये एक कमरा विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने की मंशा से निर्माण किया जा रहा है जिसमें प्रार्थीगण का कोई अधिकार स्वत्व पर क्षति उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रथम दृष्टया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण के पक्ष में प्रबल है। प्रार्थीगण गलत तथ्य प्रकटीकरण कर न्यायालय से अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त करके जवाबकर्तागण की आराजी में आने जाने व उपयोग उपभोग में बाधा कारित कर रहे है।

5. हमारे द्वारा उभयपक्षकार कि बहस सुनी गई

5.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना में अंकित कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 506 जो नक्शे में तरमीमशुदा है का वह उपयोग करते है तो किसी प्रकार से आपत्ति नहीं है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 505 के पश्चिम दिशा में यदि अतिक्रमण कर अवैध, अनाधिकृत कृत्य कर निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय कठिनाई होगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के उपरोक्त उग्रोत्तर आचरण को लेकर दिनांक 31.07.2021 को पुलिस थाना गांधीनगर, मदनगंज में शिकायत भी की थी, किन्तु अप्रार्थीगण के राजनैतिक दबाव, प्रभाव के रहते हुये पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थीगण अपने लाठी के बल पर प्रार्थीगण की भूमि को ख0नं0 506 में मिलाते हुये चार दीवारी का निर्माण कर देंगे, अतिक्रमण करके रहेंगे। अप्रार्थीगण उपरोक्त ख0नं0 506 पर अवैध, अनाधिकृत रूप से बिना संपरिवर्तन करवाये ढाबे का निर्माण करना चाहते है एवं इसी कारण से प्रार्थीगण की उपरोक्त ख0नं0 505 की भूमि को ख0नं0 506 में मिलाकर स्वयं के होटल ढाबे के रास्ते पर खुलता हुआ बताकर अविधिक कृत्य करने में उद्दत हो रहे है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण, उनके परिवारजन, हितबद्ध, एजेन्ट, असाईनिस को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि, अप्रार्थीगण उपरोक्त प्रार्थीगण की ग्राम रलावता के ख0नं0 505 रकबा 18–00–00 जो तरमीमशुदा है पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार से कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे एवं अप्रार्थीगण के उपयोग, उपयोभ में कोई बाधा नहीं करे एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested

5.2 अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बह[illegible] में अंकित कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया [illegible]) को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है किन्तु [illegible]र्थीगण द्वारा आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित नहीं करने से दावा/प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने

उपखण्ड अधिकारी

योग्य है। जवाबकर्तागण द्वारा अपनी कृषि भूमि में फसल सुरक्षा एवं अधिवासीत होने के लिये मौके पर विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से कमरे का निर्माण किया जा रहा है जो जवाबकर्तागण की विभाजित, तरमीमशुदा आराजी में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी में किसी भी प्रकार का कोई अतिचार, अतिक्रमण नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण कई वर्षो से स्टेट हाईवे से प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 505 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 506 में आने–जाने का कार्य करते आ रहे है। मौके पर कई वर्षो से रास्ते के चिन्ह कायम है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होने के बावजुद एवं उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने की मंशा से वाद प्रस्तुत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 से मौके की वास्तविक स्थिति प्रकट होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवसायिक निर्माण नहीं किया गया है बल्कि फसल सुरक्षा हेतु चारागृह के लिये एक कमरा विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने की मंशा से निर्माण किया जा रहा है जिसमें प्रार्थीगण का कोई अधिकार स्वत्व पर क्षति उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू अप्रार्थीगण/जवाबकर्तागण के पक्ष में प्रबल है। अतः वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण को अपने पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्तनीय क्षति

6.1 प्रथम दृष्टया मामला– राजस्व ग्राम रलावता की जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता सं0 नया 262 पुराना 230 के ख0नं0 505 व अन्य खसरा नम्बरान् की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि होने से अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध कब्जा करने का विधिक अधिकार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

6.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तणीय क्षति– संलग्न जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 505 रकबा 2.9124 [illegible]दार है एवं राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] दिशा में अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख[illegible]कर अलग–अलग तरमीम हो रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

है। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

अतः न्यायालय हाजा का अभिमत है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 505 रकबा 2.9124 हैक्टेयर भूमि के विचाराधीन मूल राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे उचित प्रतीत होता है ताकि वाद बाहुलता ना बढ़े।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 505 रकबा 2.9124 हैक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि की सीमा में किसी प्रकार का अतिक्रमण, कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग में बाधा कारित नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:18 IST
Reason: SelfAttested